न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 163/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एच.डी.बी. फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **जितेन्द्र शर्मा** **रजिस्टर्ड कार्यालयः–** ई–145, सेकिण्ड एवं थर्ड फ्लोर, अपोजिट सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **शर्मा किराना जनरल स्टबेर एण्ड दूध डेयरी जरिये प्रोपराईटर श्याम सुन्दर शर्मा,** पता–भैरूपुरा रास्ता, फतेहपुर रोड़, वार्ड नं. 45, सीकर (राज.) 332001 एवं प्लॉट लेआउट नम्बर 09–ए, खसरा नम्बर 652 का हिस्सा, नियर अनानी कोठी, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.) 332001
2. **दिपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा,** पता–भैरूपुरा रास्ता, फतेहपुर रोड़, वार्ड नं. 45, सीकर (राज.) 332001
3. **श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा,** पता–गांव पोस्ट सरगोठ, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर (राज.)
4. **पिंकी एस. पत्नि श्यामसुन्दर शर्मा,** पता–प्लॉट लेआउट नम्बर 09–ए, खसरा नम्बर 652 का हिस्सा, रेवेन्यू एरिया, राधाकिशनपुरा, स्थित वार्ड नं. 38, नियर अनानी कोठी, राधाकिशनपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.) 332001

– अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **शर्मा किराना जनरल स्टबेर एण्ड दूध डेयरी जरिये प्रोपराईटर श्याम सुन्दर शर्मा, दिपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा, श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा** एवं **पिंकी एस. पत्नि श्यामसुन्दर शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

में अप्रार्थी **दिपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **प्लॉट लेआउट नम्बर 09 (खसरा नम्बर 652 राजस्व क्षेत्र राधाकिशनपुरा का एक भाग), स्थित वार्ड नं. 38, नियर अनानी कोठी, राधाकिशनपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 210.33 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट नम्बर 08, पश्चिम दिशा में अन्य प्लॉट, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 10 एवं दक्षिण दिशा में पब्लिक वे (रास्ता) 30 फीट चौड़ा स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹25,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पच्चीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **शर्मा किराना जनरल स्टबेर एण्ड दूध डेयरी जरिये प्रोपराईटर श्याम सुन्दर शर्मा, दिपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा, श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा** एवं **पिंकी एस. पत्नि श्यामसुन्दर शर्मा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **दिपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **प्लॉट लेआउट नम्बर 09 (खसरा नम्बर 652 राजस्व क्षेत्र राधाकिशनपुरा का एक भाग), स्थित वार्ड नं. 38, नियर अनानी कोठी, राधाकिशनपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 210.33 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट नम्बर 08, पश्चिम दिशा में अन्य प्लॉट, उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 10 एवं दक्षिण दिशा में पब्लिक वे (रास्ता) 30 फीट चौड़ा स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **15 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)